सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 149/2017 दायर दिनाँक 31.05.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. ओम प्रकाश सांखला पुत्र मदनलाल सांखला, उम्र–50साल, जाति–खटीक, निवासी–खटीकों का मौहल्ला, बूडसू, तहसील–मकराना, हाल,निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, जरिये आम मुख्त्यार रामेश्वरलाल खींची पुत्र तुनसुखलाल, जाति–खरीट, उम्र–75साल, निवासी–खुनखुना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. नाथू पुत्र पूर्णाराम, 2. कैलाश पुत्र पूर्णाराम, 3. कौशल्या पुत्री पूर्णाराम, समस्त,जाति–ढोली, निवासी–धूड़ीला, तहसील–लाडनूँ, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. मंगतूराम पुत्र मांगलाल, जाति–ढोली, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. राजूराम पुत्र गणेशाराम, जाति–मेघवाल, निवासी–बाँठड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. चूनाराम पुत्र मांगीलाल, जाति–मेघवाल, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. ओमप्रकाश पुत्र राजूराम, जाति–मेघवाल, निवासी–खोजास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. गोविन्दराम पुत्र हरफूल, जाति–नायक, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. राजूराम पुत्र लक्ष्मणराम, जाति–मेघवाल, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. मल्लाराम पुत्र रामूराम, जाति–मेघवाल, निवासी–खोजास, तहसील–डीडवाना,

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		जिला–नागौर, राजस्थान, 11. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act

उपस्थित :–

1. श्री इस्लामुदीन, वकील, वादी।
2. श्री प्रितमसिंह, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 10 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक **16.01.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद खरेश में खसरा नम्बर 84 रकबा 18.10 बीघा, खसरा नम्बर 98 रकबा 14.11 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 की अवस्थित है।

खातेदार सुप्यार पत्नी मांगलाल फौत हो जाने से उनके वारिश पुत्र प्रतिवादी संख्या 04 हैं व पुत्री भँवरी के फौत हो जाने से उसके वारिश प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 10 की सहखातेदारीशुदा भूमि है। वादी कमाने खाने के लिए अहमदाबाद (गुजरात) रहता है इस कारण से उक्त भूमि की सार सम्माल व कानूनी कार्यवाही सम्पादित करने का जिम्मा जरिये आम मुख्त्यार रामेश्वरलाल खिंची को दिया गया है। नकल पेश है।

वादग्रस्त खसरा नम्बर 84 व 98 में से पूर्व खातेदार सरोज दायमा पत्नी ज्योति प्रकाश दायमा जाति खटीक निवासी डीडवाना ने अपना 1/12 हिस्सा रकबा 02.15 बीघा को जरिये रजिस्टर्ड बैचाण के वादी को बैच दिया था। इस अनुसार बन्टवारा बाबत् वादी ने दावा पेश किया है। उक्त भूमि का बन्टवारा नहीं होने से पक्षकारान् उक्त भूमि का बैचाण किसी और को करने की एलानियाँ धमकी दे रहे हैं, जिसके कारण वादी को स्थाई निधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश करना लाजमी आया है।

वाद हैतुक, दिनॉक 30.05.2017 को वादी को प्रतिवादीगण बैचाण की धमकी देने के उपरान्त उसी दिन नकल खतौनी लेने पर पैदा हुआ व निरन्तर हो रहा है।

प्रार्थना वादी है कि,

शरहद खरेश में खसरा नम्बर 84 रकबा 18.10 बीघा व खसरा नम्बर 98 रकबा 14.11 कुल रकबा 31.01 बीघा में से हिस्सा 1/12

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017/149
दायर दिनाँक 31.05.2017, निणर्य दिनाँक 16.01.2018
ओमप्रकाश बनाम् नाथू, वगैरा।

भाग अर्थात् रकबा 02.15 बीघा भूमि की खातेदारी वादी के पक्ष में घोषित की जावे व शेष भूमि की खातेदारी को बदस्तूर जारी रखी जावे। वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 व 11 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का ओदश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 10 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। पक्षकारान् राजीनामा की इबारात् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबावा या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री इस्लामुदीन ने व प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 10 की पहचान वकील श्री प्रितमसिंह वकील ने की है। बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

उपर्युक्त राजीनामा पक्षकारान् के मुताबिक, पक्षकारान् के संलग्न नजरीनक्शा अनुसूची "अ" अनुसार बन्टवारा चाहते हैं।

वाद के संलग्न वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", जमाबन्दी ग्राम खरेश सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 331/296 की खसरा नम्बर 84 व 98 प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्शा ट्रेश ग्राम खरेश खसरा नम्बर 84 व 98 की प्रमाणित प्रतिलिपि, आधार कार्ड संख्या 880712513840 नाम राजूराम की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान–पत्र संख्या AZB/0202887 निर्वाचक का नाम भल्लाराम की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि, आममुख्त्यारनामा प्रथम पक्ष औमप्रकाश सांखला पुत्र मदनलाल सांखला दितीय पक्ष रामेश्वरलाल खिंची पुत्र तुनसुखलाल की स्वप्रमाणित छायाप्रति, विक्रय–पत्र जिल्द संख्या 444 पृष्ठ संख्या 11 क्रम संख्या 2016003482 दिनाँक 20.12.2016 की छायाप्रति, है।

वकुलाय पक्षकारान् की सारगर्भित बहस सुनी गई। वकील वादी की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। वाद में राजीनामा पेश हो गया है। अधिवक्तागण पक्षकारान्, राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने की इस्तदुआ कर रहे है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकारान्, राजीनामा अनुसार बन्टवारा चाहते हैं। वाद में राजीनामा पेश हो गया है। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, वाद वादी, पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

आदेश

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर शरहद खरेश पटवार क्षेत्र खरेश भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान, में खेवट संख्या 331 / 296, खसरा नम्बर 84 रकबा 18.10 बीघा व खसरा नम्बर 98 रकबा 14.11 बीघा, कुल रकबा 33.01 बीघा का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर, वर्तमान में दर्ज खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 84 रकबा 18.10 बीघा में से रकबा 02.15 बीघा भूमि का वादी को, रकबा 02.15 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 05 को, रकबा 07.00 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 को, रकबा 02.15 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 06 को, रकबा 02.15 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 07 को, रकबा 0.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 08 को, स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्बर 98 रकबा 14.11 बीघा में से रकबा 01.05 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 तक को, रकबा 02.05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 08 को, रकबा 02.16 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 09 को, रकबा 08.05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **16.01.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **149/2017** दायर दिनाँक **31.05.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. ओम प्रकाश सांखला पुत्र मदनलाल सांखला, उम्र—50साल, जाति—खटीक, निवासी—खटीकों का मौहल्ला, बूडसू, तहसील—मकराना, हाल,निवासी—खरेश, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, जरिये आम मुख्त्यार रामेश्वरलाल खींची पुत्र तुनसुखलाल, जाति—खरीट, उम्र—75साल, निवासी—खुनखुना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. नाथू पुत्र पूर्णाराम, 2. कैलाश पुत्र पूर्णाराम, 3. कौशल्या पुत्री पूर्णाराम, जाति—ढोली, निवासी—धूड़ीला, तहसील—लाडनूँ, जिला—नागौर, राजस्थान, 4. मंगतूराम पुत्र मांगलाल, जाति—ढोली, निवासी—खरेश, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 5. राजूराम पुत्र गणेशाराम, जाति—मेघवाल, निवासी—बाँठड़ी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 6. चूनाराम पुत्र मांगीलाल, जाति—मेघवाल, निवासी—खरेश, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 7. ओमप्रकाश पुत्र राजूराम, जाति—मेघवाल, निवासी—खोजास, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 8. गोविन्दराम पुत्र हरफूल, जाति—नायक, निवासी—खरेश, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 9. राजूराम पुत्र लक्ष्मणराम, जाति—मेघवाल, निवासी—खरेश, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 10. भल्लाराम पुत्र रामूराम, जाति—मेघवाल, निवासी—खोजास,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act

दिनाँक **16.01.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री इस्लामुदीन, वकील, वादी व श्री प्रितमसिंह, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 04, 06, 08 व 09 की ओर से व श्री भैरूसिंह शेखावत, वकील, प्रतिवादी संख्या 10 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर शरहद खरेश पटवार क्षेत्र खरेश भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान, में खेवट संख्या 331/296, खसरा नम्बर 84 रकबा 18.10 बीघा व खसरा नम्बर 98 रकबा 14.11 बीघा, कुल रकबा 33.01 बीघा का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर, वर्तमान में दर्ज खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 84 रकबा 18.10 बीघा में से रकबा 02.15 बीघा भूमि का वादी को, रकबा 02.15 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 05 को, रकबा 07.00 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 को, रकबा 02.15 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 06 को, रकबा 02.15 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 07 को, रकबा 0.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 08 को, स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्बर 98 रकबा 14.11 बीघा में से रकबा 01.05 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 तक को, रकबा 02.05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 08 को, रकबा 02.16 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 09 को, रकबा 08.05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.................
....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **16.01.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—149—2017/रीडर/2018/75 दिनाँक 16/1/18

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 53, 188 R.T.Act

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. ओम प्रकाश सांखला पुत्र मदनलाल सांखला, उम्र—50साल, जाति—खटीक, निवासी—खटीकों का मौहल्ला, बूडसू, तहसील—मकराना, हाल,निवासी—खरेश, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, जरिये आम मुख्त्यार रामेश्वरलाल खींची पुत्र तुनसुखलाल, जाति—खरीट, उम्र—75साल, निवासी—खुनखुना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. नाथू पुत्र पूर्णाराम, 2. कैलाश पुत्र पूर्णाराम, 3. कौशल्या पुत्री पूर्णाराम, समस्त,जाति—ढोली, निवासी—धूड़ीला, तहसील—लाडनूँ, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner